



2026:AHC:50641

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 888/2026

सुरेन्द्र

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 20 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: बच्चा सिंह

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ निम्नलिखित प्रतिकार के लिए प्रस्तुत की गई है:-

“A. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित एवं आदेशित किया जाए कि वह पुनरीक्षण संख्या 1110 वर्ष 2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 20255415900001170, जो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 48(1) के अंतर्गत (सुरेन्द्र बनाम जैराम एवं अन्य) में लंबित है, का निस्तारण इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर करे, ताकि न्याय हो सके।”
3. यदि उपर्युक्त वाद के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो इस पर विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतएव, यह न्यायालय रिट याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, इस निर्देश के साथ कि प्रतिवादी संख्या 2 उपर्युक्त वाद का निस्तारण विधि के अनुसार, कारणयुक्त एवं वक्तव्ययुक्त आदेश द्वारा, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात तथा किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर करे।



5. उपर्युक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से **निस्तारित** की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

12 मार्च, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.